रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 3, 1995/कार्तिक 12, 1917
No. 444] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 3, 1995/KARTIKA 12, 1917

विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1995

सा.का.नि. 718(अ)—केन्द्रीय सरकार, उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) की धारा 24 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 1995 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1994 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 के नियम, 4 के स्पष्टीकरण में "दरें एवं कर (परन्तु 4320 कि.ली. जल तथा 17,000 यूनिट पावर प्रति वर्ष से अधिक उपभोग में जल और विद्युत् के प्रभारों को शामिल नहीं करते हुए) जो न्यायाधीशों द्वारा वहन किया जायेगा" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर "दरें, कर, बिजली और पानी" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भूतलक्षी प्रभाव इस कारण से दिया जा रहा है कि स्थानीय निकायों ने विद्युत्/जल प्रभार 1 अप्रैल, 1994 के प्रभाव से बढ़ा दिया है और केन्द्रीय सरकार ने उक्त तारीख से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को फायदा देने का निर्णय लिया है और यह निर्णय उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1951 (1958 का 41) धारा 23 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अनुसरण में लिया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी के हित पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

[फा.सं. एल-11017/4/95—न्याय]
एस.के. नायक, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3(i) पृष्ठ 1161 में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 935 दि. 4-8-59 के तहत प्रकाशित प्रमुख नियम

(गृह मंत्रालय सं. 15/6/58—न्यायिक-I)

तत्पश्चात् निम्न के द्वारा संशोधित :—

1. अधिसूचना सं. 1/34/74-न्या.(i) ता. 18-12-74
2. सा.का.नि. 634 दिनांक 22-4-1976
3. सा.का.नि. 854 दिनांक 1-8-1980
4. सा.का.नि. 1176(ई) दिनांक 4-11-1986
5. सा.का.नि. 680(ई) दिनांक 12-11-1991
6. सा.का.नि. 698(ई) दिनांक 25-11-1991
7. सा.का.नि. 559(ई) दिनांक 27-5-1992
8. सा.का.नि. 779(ई) दिनांक 25-9-1992
9. सा.का.नि. 381(ई) दिनांक 24-4-1993 (25-9-1995 से)
10. सा.का.नि. 444(ई) दिनांक 10-5-1994

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 1995

G.S.R. 718 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 24 of the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Supreme Court Judges Rules, 1959, namely:—

1. (1) These rules may be called the Supreme Court Judges (Amendment), Rules, 1995.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1994.

2. In the Supreme Court Judges Rules, 1959, in rule 4, in the explanation for the words and figures, "rates and taxes (but excludes the charges on account of water and electricity consumed in excess of 4320 kilo litres of water and 17,000 units of power per annum) which shall be borne by the Judges himself", the following words, "rates, taxes, electricity and water", shall be substituted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The retrospective effect is being given for the reason that the charges on account of elecitricity/water were raised by the local bodies with effect from the 1st day of April, 1994 and the Central Government has taken a decision to give benefits to the Supreme Court Judges from that date and this decision has been taken in accordance with the provisions of sub-section (4) of Section 23 of the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958). It is certified that by giving retrospective effect nobody's interest is likely to be adversely affected.

[F.No. L-11017/4/95-Jus.]

S.K. NAIK, Jt. Secy.

FOOT NOTE : Principal Rules, published vide Notification No. GSR 935 dated the 4th August, 1959, Gazette of India, Part-II, Section 3(i) page 1161. (Ministry of Home Affairs No. 15/6/58-Judl.-I)

Subsequently amended by:

1. Notification No. 1/34/74-Jus (1) dated 18-12-1974

2. G.S.R. No. 634 dated 22-4-1976.
3. G.S.R. No. 854 dated 1-8-1980.
4. G.S.R. No. 1176(E) dated 4-11-1986
5. G.S.R. No. 680(E) dated 12-11-1991.
6. G.S.R. No. 698(E) dated 25-11-1991
7. G.S.R. No. 559(E) dated 27-5-1992
8. G.S.R. No. 779(E) dated 25-9-1992
9. G.S.R. No. 381(E) dated 24-4-93 (w.e.f. 25-9-95)
10. G.S.R. No. 444(E) dated 10-5-1994.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995